

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10851
प्रति,

दिनांक : 27-05-2024

प्राचार्य/सचिव

समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् से अनुमोदन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28/17 के अंतर्गत नियुक्त चयनित स्टाफ का चयन/नियुक्ति दिनांक से छः माह के अन्तर्गत चयन समिति की अनुशंसाओं का कार्यपरिषद् से अनुमोदन/सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अतः उक्त संबंध में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, कि जिन महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन/नियुक्तियाँ कराई जा चुकी है। ऐसे समस्त महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति का कार्यपरिषद् में अनुमोदन/सूचना ग्रहण कराये जाने हेतु निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न कर प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। अनुमोदन/सूचना ग्रहण हेतु संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का क्रम निम्नानुसार है:-

1. महाविद्यालय का आवेदन पत्र।
2. परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयन समिति हेतु जमा की गयी शुल्क की रसीद की छाया प्रति।
3. अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्राचार्य/शिक्षकों की सूची जिसमें चयन समिति दिनांक एवं नियुक्ति दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो।
4. चयन समिति की अनुशंसार्ये।
5. शासी निकाय के कार्य विवरण।
6. महाविद्यालय द्वारा जारी शिक्षक का नियुक्ति पत्र।
7. नियुक्त शिक्षक का उपस्थिति पत्रक।
8. शिक्षक एवं मेनजमेन्ट का 100 रु. के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट निर्धारित प्रारूप अनुसार। (संलग्न प्रारूप)
9. शिक्षक का अन्य किसी संस्था में कार्य नहीं करने संबंधी 100 रु. के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट।

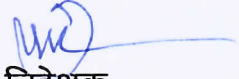
10. बायोडाटा, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेज (स्वप्रमाणित)।
11. महाविद्यालय का वेतन पत्रक (बैंक स्टेटमेन्ट)।
12. शिक्षक का स्वयं के वेतन का बैंक स्टेटमेन्ट।
13. शिक्षक का पुलिस वेरीफिकेशन की रिपोर्ट की छाया प्रति।
14. शिक्षक के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधी रिपोर्ट।

संस्था प्रमुख यह भी सुनिश्चित करना चाहें, कि वे परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् का अनुमोदन छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से करावें। यदि महाविद्यालय द्वारा चयनित स्टाफ का अनुमोदन छः माह के भीतर नहीं कराया जाता है। तो संबंधित महाविद्यालय की समस्त नियुक्तियाँ शून्य मानी जावेंगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय के स्वयं की होगी।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।


निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्